बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आ0सं0–भवन / 10 / आरोप(पटना)–05 / 2017.......8004 (अ) पटना, दिनांक– 6/9/17

आदेश

श्री प्रमोद कुमार राम, कनीय अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पोलो रोड, प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा पोलो रोड स्थित कब्रिस्तान से सटे दक्षिण सरकारी जमीन पर मो0 असगर हुसैन के दो पुत्रों, मो0 याकूब हुसैन तथा मो0 अमीर हुसैन द्वारा अवैध चहारदीवारी निर्माण के विरूद्ध ससमय नियमानुकूल कार्रवाई नहीं किये जाने के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–19 (i) के तहत विभागीय पत्रांक–10527(भ0) दिनांक–26.10.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। जिसके आलोक में श्री प्रमोद कुमार राम के पत्रांक–शून्य दिनाक–20.12.2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए, आज तक अतिक्रमण न हटाने, अतिक्रमण की जानकारी न रखने एवं सरकारी सम्पत्ति की रक्षा के प्रति लापरवाही बरतने के लिये दोषी मानते हुये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 (iv) के तहत निम्नांकित लघु दण्ड अधिरोपित / संसूचित किया जाता है :–

1. **तीन (03) वर्षो की अवधि तक के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नत्तर प्रक्रम पर अवनति का दण्ड।**

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 10 / आरोप(पटना)–05 / 2017.......8004 (अ)...... / पटना, दिनांक– 6/9/17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेशरैय्या भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 10 / आरोप(पटना)–05 / 2017.......8004 (अ)...... / पटना, दिनांक– 6/9/17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग, पटना / अपर सचिव / उप सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी मुख्य अभियंता / सभी अवर सचिव / अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना / कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना / श्री प्रमोद कुमार राम, कनीय अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना, पोलो रोड, प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।